EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 242—255

Dated : 1-3-2014

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2014

सा.का.नि. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण और वन मंत्रालय, वन्यजीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरो, में सहायक निदेशक, लोक अभियोजक, निरीक्षक और आशुलिपिक श्रेणी-1 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्यजीव अपराध नियन्त्रण ब्यूरो (समूह क और समूह ख पद) भर्ती नियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक	3* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया जाएगा
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् वहां दो वर्ष की सेवा है; या (iii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् वहां तीन वर्ष की सेवा है; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री (ii) आसूचना या प्रवर्तन या अन्वेषण में तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड

	(11)
	वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक अभियोजक	1* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-3, 15600—39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी :— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4800 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् वहां दो वर्ष की नियमित सेवा है; या (iii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् वहां तीन वर्ष की सेवा है; और

(11)
(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि (कानून) में बैचलर डिग्री (ii) आपराधिक मामलों के अभियोजन हैंडलिंग का तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्यन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
लागू नहीं होता ।	पद को भरते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निरीक्षक	7* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् वहां पांच वर्ष की नियमित सेवा है; या (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री (ii) आसूचना, प्रवर्तन और अन्वेषण में तीन वर्ष का अनुभव **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

915 E2F/14-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-1	6* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300—34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(10)	(11)
33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 66.67 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**प्रोन्नति :** वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के आशुलिपिक जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा है । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन ऐसे आशुलिपिक— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् छह वर्ष की नियमित सेवा है; या (iii) जिनकी मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. या

(11)

समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की नियमित सेवा है ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 4 : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

1. उप निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मुख्यालय —अध्यक्ष
2. सहायक निदेशक, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो मुख्यालय —सदस्य
3. अवर सचिव, (वन स्थापन प्रभाग), पर्यावरण और वन मंत्रालय —सदस्य

(13)

अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 8-3/2008-एफ ई]

मालती रावत, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2014

G.S.R. 50.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' and 'B' Posts of Assistant Director, Public Prosecutor, Inspector and Stenographer Grade-I in the Wildlife Crime Control Bureau, Ministry of Environment and Forests, namely :—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Wildlife Crime Control Bureau (Group 'A' and 'B' Posts) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.—The number of post, their classification, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Director	3* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 with Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By deputation	**Deputation :** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories : (a) (i) holding analogous posts in the parent Cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-2, Rs. 9300—34800 plus grade Pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's Degree from a recognised University; (ii) Three years experience in intelligence or enforcement or investigation. **Note 1 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2 :** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended

	(11)
	based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Public Prosecutor	1* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 with Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By deputation	**Deputation :** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories : (a) (i) holding analogous posts in the parent Cadre or Department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-2, Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the pay band-2, Rs. 9300—34800 with grade Pay Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience :

(11)
(i) Bachelor's Degree in Law from a recognised University; (ii) Three years experience in handling prosecuting of criminal cases. **Note 1 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary for filling the post

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Inspector	7* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with Grade Pay Rs. 4600	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
By deputation	**Deputation :** Officers under the Central Government or State Governments or Union Territories :

915 E&F/14-4

(11)
(a) (i) holding analogous posts in the parent Cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-2, Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4200 or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (i) Bachelor's Degree from a Recognised University; (ii) Three years experience in intelligence, enforcement or investigation. **Note 1 :** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2 :** The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3 :** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Stenographer Grade-1	6* (2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, Rs. 9300—34800 with grade pay of Rs. 4200	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years

(10)	(11)
33.33% by promotion and 66.67% by deputation	**Promotion :** From amonst the Stenographers in pay band-1, Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2400 of the Wildlife Crime Control Bureau with ten years of regular service in the grade. **Note 1 :** Where Juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior's would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior ro the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Deputation :** Stenographers of the Central Government or State Governments or Union Territories : (a) (i) holding analogous posts in the parent Cadre or Department; or (ii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-1, Rs. 5200—20200 with grade pay of Rs. 2800 or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with ten years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-1, Rs. 5200—20200 with grade Pay Rs. 2400 or equivalent in the parent cadre or Department. **Note 1 :** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation/absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(11)
Note 2 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 3 : The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
Note 4 : For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale in the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of : 1. Deputy Director, Wildlife Crime Control Bureau (HQ) —Chairman 2. Assistant Director, Wildlife Crime Control Bereau —Member 3. Under Secretary (Forest Establishment Division), Ministry of Environment and Forests —Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation.

[F. No. 8-3/2008-FE]

MALTI RAWAT, Under Secy.

MGIPRRND—915 E & F/2014—100 Copies.